कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं./सां./एमडीएम/8577/2018–19 दिनांकः 19.06.2018

समस्त उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा।

विषयः–मिड डे मील योजनांतर्गत **"अन्नपूर्णा दूध योजना"** के शुभारम्भ के संबंध में आयोजित अध्यापक–अभिभावक परिषद की दिनांक 02.07.2018 को आयोज्य विशेष बैठक संबंधी दिशा–निर्देश हेतु।

संदर्भः–आयुक्त मिड डे मील द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देश तथा पूर्व में जारी अ०शा० पत्र दिनांक 12.06.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि शासकीय निर्देशानुरूप मिड डे मील योजनांतर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं के कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाने हेतु **"अन्नपूर्णा दूध योजना" के शुभारम्भ दिनांक 02.07.2018 के अवसर पर समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापक–अभिभावक परिषद (PTA) की विशेष बैठक का आयोजन किया जाना है।** उक्त बैठक में विद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकगण, SDMC सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधान एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण के दौरान आयोज्य गतिविधियों के साथ–साथ **"अन्नपूर्णा दूध योजना"** से संबंधित विशेष PTM में अधिकाधिक जनभागीदारी हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं।

➢ पूर्व तैयारी एवं दायित्व :–

अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी, जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

❖ संस्था प्रधान एवं शिक्षक गण :–

- बैठक की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व निमंत्रण पत्र तैयार कर अभिभावकों को भेजे जाने की कार्यवाही पूर्ण कर लेवें।
- SDMC/SMC सदस्यों को समस्त अभिभावकों को बैठक में अधिकाधिक सम्मिलित करने हेतु घर–घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क कर सूचित/निमंत्रित करने हेतु प्रेरित करें।
- विद्यालय भवन/परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना सम्बन्धी पोस्टर चिपकाना तथा स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों (मन्दिर/मस्जिद, बस स्टैण्ड, बाजार, सामुदायिक केन्द्र आदि) पर भी पोस्टर चिपकाने एवं सम्भव होने पर सार्वजनिक घोषणा की कार्यवाही करावें।
- बैठक दिवस दिनांक 02.07.2018 को अभिभावकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करावें।
- स्कूल डायरी/एस.एम.एस./व्हाट्स–एप/पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक में उपस्थित होने हेतु निरंतर स्मरण–पत्र भिजवावें।
- संस्था प्रधान विद्यालय स्टाफ के साथ बैठक संबंधी पूर्व तैयारी कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
- बैठक में उपस्थित समस्त अभिभावक गण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों से **अक्षत पेटिका** में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जावे।
- बैठक में अनुपस्थित अभिभावकों को आगामी बैठक में भाग लेने हेतु सूचना/स्मरण पत्र प्रेषित करावें।

19/6/18

www.rajteachers.com

- विगत सत्र में अध्यापक–अभिभावक परिषद की समस्त बैठकों में भागीदारी करने वाले अभिभावकों को आभार ज्ञापित करें।

❖ जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल उप निदेशक :–

- बैठक के एक सप्ताह पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमंत्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करना।
- जिला कलक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क कायम करते हुए बैठक के विस्तृत प्रचार–प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक की सार्थक सफलता हेतु स्थानीय प्रशासन तंत्र का उचित एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करने तथा जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को विद्यालयों में बैठक अवलोकन हेतु उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध करें। उक्तानुरूप जिले में कार्यरत अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जावे।
- जिला स्तर पर व्हाट्स–एप ग्रुप/एस.एम.एस./इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपयोग बैठक के प्रचार–प्रसार एवं अभिभावकों की अधिकाधिक भागीदारी हेतु सुनिश्चित करावें।
- क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था एवं पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधानों को आवश्यकतानुसार सम्बलन एवं मार्गदर्शन प्रदान करावें।
- जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को क्षेत्राधिकार में विद्यालयों का बैठक अवलोकन हेतु निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर बैठक में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करावें।
- बैठक के दौरान विद्यालयों में स्थित **अक्षत पेटिकाओं** में समस्त अभिभावक गण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु संस्था प्रधानों को निर्देशित करावें।
- बैठक दिनांक 02.07.2018 से 09.07.2018 तक प्रत्येक विद्यालय में अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह के सफल आयोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

❖ अध्यापक–अभिभावक परिषद की विशेष बैठक की रूपरेखा दिनांक 02.07.2018

क्र0सं0	करणीय कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
(i)	<u>प्रार्थना–सभा में भागीदारी</u> :– • विद्यालय की प्रार्थना सभा में अधिकाधिक अभिभावकों को सम्मिलित किया जावे। • एक दो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालक–बालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य बालक–बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है। • प्रार्थना सभा के तुरंत पश्चात् विद्यार्थियों को विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रति विद्यार्थी निर्धारित मात्रानुसार गरम ताजा दूध उपलब्ध करवाकर अन्नपूर्णा दूध योजना का विधिवत शुभारम्भ किया जावे।	प्रार्थना सभा – 30 मिनट
(ii)	**<u>PTM आयोजन के विशिष्ट उद्देश्य "अन्नपूर्णा दूध योजना" के संबंध में विस्तृत चर्चा</u>** • विद्यालय के शिक्षक गणों में से किसी विज्ञ जन द्वारा मिड डे मील योजनांतर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाने बाबत् आयोजन के दिवस से संपूर्ण राज्य में आरंभ की जा रही "अन्नपूर्णा दूध योजना" के समस्त प्रावधानों से समस्त अभिभावकों एवं उपस्थित आगंतुक गणों को अवगत करवाया जाएगा। उक्त बाबत् पूर्वोल्लेखित आयुक्त एमडीएम के पत्र दिनांक 22.05.2018 में उक्त योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित संपूर्ण विषय	आवश्यकतानुसार

19/6/18

www.rajteachers.com

	सामग्री एवं प्रावधानों का अध्ययन संबंधित विज्ञ जन द्वारा किया जायेगा तथा अभिभावक एवं आगन्तुक गण द्वारा योजना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान भी तद्नुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। • इससे पूर्ण प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजन के द्वितीय चरण में स्थानीय जनसमुदाय एवं अभिभावक गणों से संपर्क के दौरान समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा "अन्नपूर्णा दूध योजना" के संबंध में आवश्यक रूप से समस्त ग्रामवासियों एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान की जायेगी।	
(iii)	**संस्था प्रधान का उद्बोधन**– • अन्नपूर्णा दूध योजना की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए दिनांक 02.07.2018 से 09.07.2018 तक अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह के आयोजन की जानकारी दी जावे। • विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक उपलब्धियां। • विद्यालय के 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में अभिभावकों को अवगत करवावें। • विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में अभिभावकों के सहयोग के सम्बन्ध में जागरूकता का संदेश देना। • विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बाबत् दायित्वों का उल्लेख करना।	30 मिनट

अतः उपरोक्त समस्त निर्देशों के अनुसार दिनांक 02.07.2018 से "अन्नपूर्णा दूध योजना" के सफलतापूर्वक शुभारम्भ संबंधी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें तथा दिनांक 02.07.2018 से 09.07.2018 तक अन्नपूर्णा दूध पोषाहार सप्ताह का सफल आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

19/6/18

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं./सां/एमडीएम/8577/2018–19 दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को जिले के विद्यालयों में दिनांक : 02.07.2018 को आयोजित होने वाली अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक (PTM) में भागीदारी निभाने एवं मोनिटरिंग प्रपत्र की ऑनलाईन फीडिंग हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
6. प्रोग्रामर, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली

19/6/18
निदेशक

www.rajteachers.com